न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी	:–	श्री अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या	:–	191 / 2023

शीर्षक

1. ओमकार मल पुत्र श्री नारायण लाल उम्र–57 वर्ष
2. कैलाश चन्द पुत्र श्री नारायण लाल उम्र–43 वर्ष
3. कानाराम पुत्र नारायण लाल उम्र–53 वर्ष
4. जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण लाल उम्र–41 वर्ष
5. सूरजमल पुत्र नारायण लाल उम्र 33 वर्ष

समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी बाडिया वाली तन घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

6. कृष्णा पुत्री नारायण लाल पत्नि भैरू
7. लाली पुत्री नारायण लाल पत्नि प्रभातीलाल जाति अहीर, निवासी उदावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 10/06/24

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0–36 रकबा 0.50 है० वाकै ग्राम घासीपुरा, पटवार हल्का घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसका प्रत्येक प्रार्थी 1/7, 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार है जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है संलग्न जमाबन्दी खेवट / खतौनी प्रतिलिपि सं0–2074 से 2077 प्रार्थना पत्र है।

हाल आराजी खसरा नं0–36 रकबा 0.50 है० वाकै ग्राम घासीपुरा साबिका आराजी खसरा नं0–351 वाकै ग्राम घासीपुरा से हाल सेटिलमेन्ट में निर्धारित किये गये है तथा साबिका आराजी खसरा नं0–348 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल आराजी खसरा नं०–37 रकबा 1.16 है० वाकै ग्राम घासीपुरा निर्धारित किया गया है। यहकि साबिका नक्शा ट्रेस सन् 1942–43 का अवलोकन करने पर सह स्पष्ट होता है कि साबिका खसरा नं0–351 की पश्चिम भुजा उत्तर की तरफ ग्राम विदारा सीमा से शुरू होकर दक्षिण की तरफ साबिका आराजी खसरा नं0–348 के उत्तरी पूर्वी सीमा पर साबिका आराजी खसरा नं0–351 की दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सीमा के पश्चिमी छोर पर बिल्कुल सीधी मिलती हुई है। यहकि हाल सेटलमेन्ट कर्मचारीयो एवं अधिकारीयो ने साबिका खसरा नं0–351 की पश्चिमी भूजा उत्तर दक्षिण को साबिका नक्शा ट्रेस के अनुसार नहीं बनाकर बिना किसी अधिकार के एवं बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के वस्तुस्थिति के विपरीत मौका एवं रिकार्ड के विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

गलत बनाकर हाल नक्शा ट्रेस में साबिका खसरा नं0–348 से बने हाल खसरा नं0–37 तत्पश्चात तरमीम नं0–37/1254 की उत्तर पूर्वी सीव, से पूर्वी तरफ तथा हाल खसरा नं0–37/1253 की उत्तरी पश्चिमी सीव के पास मिला दी जो कि साबिक नक्शा ट्रेस के विपरीत होने से दुरूस्तनीय है। यहकि हाल सेटलमेन्ट कर्मचारीयो एवं अधिकारीयो के द्वारा बिना अधिकार साबिका नक्शा ट्रेस के विपरीत उपरोक्त गलत हाल नक्शा ट्रेस में की गई इन्द्राज के कारण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि हाल आराजी खसरा नं0–36 का हाल नक्शा ट्रेस की पश्चिमी सीमा पूर्वी तरफ खिसकने के कारण हाल आराजी खसरा नं0–36 का आकार छोटा होकर पूर्वी पश्चिमी चौडाई कम होगई जिसके कारण आसपास के व्यक्ति बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के पश्चिमी तरफ की भूमि से प्रार्थीगण बेदखल कर निर्माण एवं जबरन कब्जा करने पर तत्पर है जिसके लिये उन्होने अर्सा 3 रोज पूर्व प्रार्थीगण को स्पष्ट धमकी दी है। यहकि हाल नक्शा ट्रेस में साबिका नक्शा ट्रेस व मौका स्थिति के विपरीत इन्द्राज हाल सेटिलमेन्ट कर्मचारीयो द्वारा बिना किसी अधिकार के किया है जिसका उनको कानूनन कोई अधिकार नहीं है हाल सेटिलमेन्ट कर्मचारीयो को साबिक नक्शा के अनुसार ही हाल नक्शा ट्रेस बनना चाहिए था। यहकि प्रार्थीगण ने हाल नक्शा ट्रेस में हुये उक्त गलत इन्द्राज को साबिक नक्शा के अनुसार दुरूस्त करने बाबत अप्रार्थी से निवेदन किया तो उन्होने प्रार्थीगण को न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने पर न्यायालय आदेश से ही दुरूस्त करने बाबत कहा इसलिए आज यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नं0–36 ग्राम घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की पश्चिमी सीमा को हाल खसरा नं0–37/1253 की पश्चिमी सीमा तक उत्तर दक्षिण सीधा किया जाकर हाल नक्शा में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करे जिसका अमल दरामद हाल नक्शा ट्रेस में करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार शाहपुरा को प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/1748 दिनांक 03.04.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार शाहपुरा द्वारा केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट को अग्रेषित किया गया जबकि प्रकरण में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा द्वारा भिजवाई जानी थी। तहसीलदार शाहपुरा को पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। प्रकरण में पुनः तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/1821 दिनांक 15.04.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि ग्राम घासीपुरा का आराजी ख0 न0 36/0.50 है0 वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074 के खाता संख्या 91 अनुसार भूमि 05 खातेदारो के नाम समान हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ग्राम घासीपुरा का हाल आराजी खसरा नंबर 36 का साबिक ख0 न0 351 से बना है। ख0 न0 351 की पश्चिमी सीमा ख0 न0 348 व 349 की उत्तरी सीमा से लगी हुई है। वर्तमान में ख0 न0 36 की पश्चिमी सीमा ख0 न0 37/1253 से लगी हुई है। जबकी पहले के नक्शे में उक्त सीमा साबिक ख0 न0 351 अनुसार 37/1254 व 37/1253 की मैड से लगी हुई थी। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट का अवलोकन उपरांत पाया कि हाल आराजी खसरा नं0–36 ग्राम घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की पश्चिमी

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

सीमा को हाल खसरा नं0—37 / 1253 की पश्चिमी सीमा तक उत्तर दक्षिण सीधा किया जाकर हाल नक्शा में दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचनो के फलस्वरूप प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार तहसील शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी / तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नं0—36 ग्राम घासीपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर की पश्चिमी सीमा को हाल खसरा नं0—37 / 1253 की पश्चिमी सीमा तक उत्तर दक्षिण सीधा किया जाकर हाल नक्शा में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। नक्शे में तरमीम निर्णय के संलग्न प्रतिप्रेषित दुरूस्ती प्रस्तावित नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना सुनिश्चित करे। इस आशय का पत्र तहसीलदार शाहपुरा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर ग्रामीण